टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 1182(अ) तारीख 6 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2019

G.S.R. 284(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2019.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-

   (a) for paragraph 55, the following paragraph shall be substituted, namely:-

   "55 Form of accounts.- The accounts of the Employees' Provident Funds and the Employees' Provident Administration Account shall be maintained by the Commissioner in such form and in such manner as may be specified by the Central Board with the approval of the Central Government.";

   (b) Forms 10 and 11 shall be omitted.

[F. No. S-35012/7/2018-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was last amended *vide* number G.S.R. 1182(E), dated the 6th December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 285(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2019 है ।

   (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 29 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

   "29. लेखाओं का रुपविधान और रखरखाव की रीति -- केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखों के एक ही रुपविधान में पेंशन स्कीम के संबंध में समेकित तुलनपत्र के साथ ही साथ समेकित आय और व्यय लेखा का रखरखाव करेगा।"

[फा. सं. एस - 35012/7/2018 एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव